



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275158
CG-DL-E-04082026-275158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948

No. 4100]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4276(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में NH30 के कि.मी. 0 से कि.मी.27.5 (स्लाव आफिस कलक्टेरेट कैम्पस बरेली) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्विजिशन आफिसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में NH30 के कि.मी. 0 से कि.मी. 27.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बरेली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बरेली					
गांव का नाम: बरकापुर					
1	364	निजी	कृषि	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
गांव का नाम: रिठौरा					
2	832	निजी	कृषि / गैर-कृषि ()	0.0329 (हेक्टेयर)	0.0329
3	833	सरकारी	गैर-कृषि ()	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
4	834	निजी	कृषि ()	0.0332 (हेक्टेयर)	0.0332
तालुक का नाम: नवाबगंज					
गांव का नाम: गरगइया					
5	170	निजी	कृषि ()	0.0633 (हेक्टेयर)	0.0633
गांव का नाम: ग्रेम					
6	215	निजी	कृषि ()	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
गांव का नाम: खाई खेड़ा					
7	532	निजी	कृषि ()	0.2267 (हेक्टेयर)	0.2267
8	537	निजी	कृषि ()	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
9	538	निजी	कृषि ()	0.0215 (हेक्टेयर)	0.0215
10	539	सरकारी	गैर-कृषि ()	0.0575 (हेक्टेयर)	0.0575
Total					0.5434

[फा. सं. 18001/1/2018/PIU-Brly/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4276(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH30 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 27.5 (SLAO Office Collectorate Campus Bareilly) in the district of BAREILLY in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH30 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 27.5 (SLAO Office Collectorate Campus Bareilly) in the district of BAREILLY in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: BAREILLY		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bareilly					
Village: Barkapur					
1	364	Private	Agriculture	0.054 (Hectare)	0.054
Village: Rithora					
2	832	Private	Agriculture /Non Agriculture ()	0.0329 (Hectare)	0.0329
3	833	Government	Non Agriculture ()	0.002 (Hectare)	0.002
4	834	Private	Agriculture ()	0.0332 (Hectare)	0.0332
Taluk: Nawabganj					
Village: Gargaiya					
5	170	Private	Agriculture ()	0.0633 (Hectare)	0.0633
Village: Grem					
6	215	Private	Agriculture ()	0.045 (Hectare)	0.045

Village: Khai Kheda					
7	532	Private	Agriculture ()	0.2267 (Hectare)	0.2267
8	537	Private	Agriculture ()	0.0073 (Hectare)	0.0073
9	538	Private	Agriculture ()	0.0215 (Hectare)	0.0215
10	539	Government	Non Agriculture ()	0.0575 (Hectare)	0.0575
Total					0.5434

[F. No. 18001/1/2018/PIU-Brly/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director